# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 601/2022

प्रभुराम पुत्र दीपाराम कुम्हार
निवासी ग्राम चांदरख, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट...

**ब ना म**

1. केसुराम पुत्र उदाराम कुम्हार
   निवासी ग्राम चांदरख, तहसील ओसियां
   जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार ओसिंया
   जिला जोधपुर

रेस्पो....

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी ओसिंया दिनांक 27 सितम्बर 2022 प्रकरण संख्या 131ए/2022 केसूराम बनाम प्रभमराम**

---

**उपस्थित–**
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री ए.आर.बेनीवाल, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1
रेस्पो. संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

## नि र्ण य

दिनांक : 08 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसिंया द्वारा प्रकरण संख्या 131ए/2022 केसुराम बनाम प्रभुराम में पारित आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. संख्या 1 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आराजी खसरा संख्या 563/2 रकबा 1.7078 हैक्टेयर, खसरा संख्या 563/1 रकबा 1.7078 हैक्टेयर वाके मौजा चांदरख की पत्थरगड्डी करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 को स्वीकार कर लिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों को नजरअदांज करते हुए पारित किया गया है। रेस्पो. संख्या एक स्वयं द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसिंया के समक्ष एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया हुआ है जिसकी कार्यवाही में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संख्या 89/2022 केसूराम बनाम प्रभुराम आदि में वादग्रस्त आराजियात बाबत यथास्थिति का आदेश पारित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश अस्तित्व में रहते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत सीमांकन एवं पत्थरगढी कानूनन नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट खसरा संख्या 563 का रिकार्डेड खातेदार है और राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के अनुसार खसरा संख्या 563 व उसके बट्टा नम्बरान खसरा संख्या 563/2 व 563/1 बाबत सेटलमेण्ट के नक्शा के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान की मौजूदगी में पैमाईश कराये बिना पत्थरगढी नहीं की जा सकती है। प्रार्थी–रेस्पो. पत्थरगढी की आड में अपीलाण्ट को उसके मूल खसरा संख्या 563 से बेदखल करने पर आमदा है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि दिनांक 9 मार्च 2022 को पटवार हळका द्वारा पक्षकारान को मौके पर सीमाज्ञान करवा दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 563/2 रकबा 1.7078 हैक्टेयर, खसरा संख्या 563/1 रकबा 1.7078 हैक्टेयर वाके मौजा चांदरख बाबत न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसिंया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थनापत्र संख्या 89/2022 केसुराम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बनाम प्रभुराम आदि में वादग्रस्त भूमि बाबत यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिनांक 22 मार्च 2022 को पारित किया जाना विचारण न्यायालय की पत्रावली में उक्त आदेश की संलग्न प्रति से प्रकट होता है। रेस्पो. द्वारा उक्त आदेश प्रभावी होने के तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु पारित अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 सितम्बर 2022 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर